न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 366/2022
रामसिंह आयु 48 वर्ष पुत्र बजरंगलाल, जाति जाट, निवासी बिशनपुरा, थाना सिंघाना हाल निवासी रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

—— आवेदक

बनाम

1. सन्दीप चौधरी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना, चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।
3. ईश्वर सिंह पुत्र श्री किशनलाल, जाति जाट, निवासी चिडासन, थाना चिडावा हाल निवासी वार्ड नं0 17, चिडावा, तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं।

—— अनावेदक

— — —

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली बाबत पत्रावली हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

— — —

उपस्थितः—

1. श्री अवधेश कुमार, अभिभाषक — आवेदक की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश सैनी, अभिभाषक — अनावेदक संख्या 3 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक — अनावेदक संख्या 1 व 2 की ओर से।

आदेश

दिनांक 29.03.2023

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न पेश है कि अधीनस्थ न्यायालय मे पत्रावली उनवानी सरकार बनाम रामसिंह, ईश्वर सिंह आदि मुकदमा नम्बर 07/2015 अन्तर्गत धारा 145 सी0आर0पी0सी0 की विचाराधीन है जिसमे तारीख पेशी दिनांक 09.11.2022 की वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र बाबत दिलवाये जाने कब्जा हेतु नियत थी। उपरोक्त उनवानी प्रकरण मे प्रार्थी रामसिंह द्वारा दिनांक 06.11.2017 का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.11.2017 को बाबत दिलवाये जाने हेतु कब्जा बाबत प्रस्तुत किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस थानाधिकारी से कब्जा बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेश दिनांक 16.08.2019 को आदेश जारी किया कि थानाधिकारी विवादित भूखण्ड की रिसीवरी करने व रिसीवरी हटाने की रिपोर्ट न्यायालय मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.08.2019 को प्रस्तुत करें। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना गत तारीख पेशी दिनांक 01.11.2022 को प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात् पत्रावली मे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 23.11.2017 पर बहस सुनकर पत्रावली मे आ[illegible] प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 04.11.2022 नियत की गई। तत्पश्चात् आगामी पेशी दिनांक 09.11.2022 [illegible]देश हेतु तारीख पेशी नियत की गई। उपरोक्त उनवानी पत्रावली संख्या 07/2[illegible] रामसिंह, ईश्वर आदि मे प्रार्थना पत्र बाबत दिलवाये जाने कब्जा हेतु मे तारीख पेशी दिनांक 04[illegible]22 तत्पश्चात् दिनांक 09.11.2022 वास्ते आदेश हेतु नियत की गई। लेकिन दिनांक 09.11.2022 [illegible] प्रकार का[illegible] पारित नही किया गया व ना ही ही उक्त रोज पत्रावली मे आगामी तारी[illegible] पेशी ही नियत की गई [illegible] 09.11.2022 के बाद प्रार्थी व प्रार्थी का अधिवक्ता लगातार उक्त पत्रावली मे रीडर व पीठासीन अधिकारी से आदेश किये जाने बाबत निवेदन करता है तब रीडर व पीठासीन अधिकारी संतोषजनक जबाब नही देते है तथा उक्त पत्रावली मे किसी प्रकार का आदेश पारित नही कर रहे है एवं पीठासीन अधिकारी एवं रीडर के व्यवहार से प्रतीत हो रहा है कि उक्त पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1, अप्रार्थी सं0 3 के दबाब मे है तथा अप्रार्थी संख्या 3 के दबाब के चलते किसी प्रकार का आदेश पारित नही कर रहा है तथा पत्रावली मे किसी प्रकार की प्रभावी कार्यवाही नही हो पा रही है। इसलिए पत्रावली को किसी अन्य सक्षम न्यायालय मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:18:45 IST
Reason: SelfAttested

न्तरित किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त पत्रावली न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट चिडावा के न्यायाल
विचाराधीन है जिसके विरूद्व प्रार्थना पत्र की सुनवाई का अधिकार न्यायालय श्रीमान् को प्राप्त है। अ
र्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट चिडावा के न्यायालय
विचाराधीन पत्रावली सरकार बनाम पार्टी नम्बर 1 रामसिंह, पार्टी नम्बर 2 ईश्वर सिंह, मुकदमा नम्
07/2015 अन्तर्गत धारा 145 सी0आर0पी0सी0 को किसी अन्य सक्षम न्यायालय मे हस्तान्तरित किये ज
के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी, चिडावा से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवे
मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी, चिडावा ने पत्रां
871 दिनांक 13.12.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रा0 पत्र की बिन्दू सं0
स्वीकार है। बिन्दू सं0 2 मे पत्रावली आदेशार्थ दिनांक 09.11.2022 को थी लेकिन उक्त रोज राजकार्य
व्यस्त होने के कारण आदेश नही सुनाया गया था। बिन्दू सं0 3 मे पत्रावली मे आदेश हेतु तारीख पे
दिनांक 09.11.2022 दी गई लेकिन राजकार्य मे व्यस्त होने के कारण आदेश नही सुनाया गया जिस
न्यायालय द्वारा आगामी पेशी 09.12.2022 दी गई है। बिन्दू सं0 4 मे वर्णित तथ्य मनगढन्त होने
अस्वीकार है और प्रार्थी द्वारा लगाये गये समस्त आरोप झूठे होने से अस्वीकार है। शेष प्रश्न मे अग
श्रीमान्जी द्वारा उक्त प्रकरण को अन्य किसी सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाता है तो न्यायाल
हाजा को कोई आपत्ति नही है। बिन्दू सं0 5 व 6 कानूनी है, जबाब की आवश्यकता नही है। आवेदक द्वा
उनवानी वाद पत्र का स्थानान्तरण अन्यत्र न्यायालय मे करवाना चाहता है तो इस न्यायालय को को
आपत्ति नही है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने दौरान बहस प्रार्थना में अंकित तथ्यों व
दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे पत्रावली उनवानी सरकार बनाम रामसिंह, ईश्वर सि
आदि मुकदमा नम्बर 07/2015 अन्तर्गत धारा 145 सी0आर0पी0सी0 की विचाराधीन है जिसमे तारीख पे
दिनांक 09.11.2022 की वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र बाबत दिलवाये जाने कब्जा हेतु नियत थी। उपरोव
उनवानी प्रकरण मे प्रार्थी रामसिंह द्वारा दिनांक 06.11.2017 का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.11.2017 को बाब
दिलवाये जाने हेतु कब्जा बाबत प्रस्तुत किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस थानाधिकारी से कब्
बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेश दिनांक 16.08.2019 को आदेश जारी किया कि थानाधिका
विवादित भूखण्ड की रिसीवरी करने व रिसीवरी हटाने की रिपोर्ट न्यायालय मे आगामी तारीख पेशी दिनां
27.08.2019 को प्रस्तुत करें। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना गत तारीख पेशी दिनांक 0
11.2022 को प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात् पत्रावली मे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 23.11.2017 पर बह
सुनकर पत्रावली मे आगामी पेशी वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 04.11.2022 नियत की गई
तत्पश्चात् आगामी पेशी दिनांक 09.11.2022 की पुनः आदेश हेतु तारीख पेशी नियत की गई। उपरोव
उनवानी पत्रावली संख्या 07/2015 उनवानी सरकार बनाम रामसिंह, ईश्वर आदि मे प्रार्थना पत्र बाब
दिलवाये जाने कब्जा हेतु मे तारीख पेशी दिनांक 04.11.2022 तत्पश्चात् दिनांक 09.11.2022 वास्ते आदे
हेतु नियत की गई। लेकिन दिनांक 09.11.2022 को पत्रावली मे किसी प्रकार का आदेश पारित नही किय
गया व ना ही ही उक्त रोज पत्रावली मे आगामी तारीख पेशी [illegible] की गई। अदालत मातहत व
पीठासीन अधिकारी द्वारा छोटी–छोटी तारीखे दी जा रही है। [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार क
न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट चिडावा के न्यायालय मे विचाराधीन प[illegible] सरकार बनाम पार्टी नम्बर
रामसिंह, पार्टी नम्बर 2 ईश्वर सिंह, मुकदमा न[illegible] धारा 145 सी0आर0पी0सी0 व
किसी अन्य सक्षम न्यायालय मे हस्तान्तरित किये जाने के आदेश फरमा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:18:45 IST
Reason: SelfAttested

वकील अप्रार्थी संख्या 3 ने वकील आवेदक के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया वि
छोटी–छोटी तारीखे देना कोई मायने नही रखता है। अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी द्वा
नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे मुकदमा स्थानान्तरण बाबत कोई ठो
कारण नही बताये है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने अपनी बहस के दौरान वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा निराधार तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे कोई ठोस कारण नही बताये है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से साफ जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा निराधार तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे मुकदमा स्थानान्तरण बात कोई ठोस कारण नही बताये है। प्रार्थी पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों को साबित करने मे विफल रहा है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र सारहीन प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। अतः पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:18:45 IST
Reason: SelfAttested